

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 20 अक्टूबर, 2018

विषय:- संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के लाभार्थी छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु प्रत्यक्ष लाभान्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/राज0/608/पाठ्य पुस्तक/2018-19 दिनांक 31.05.2018 एवं पत्रांक/राज0/1236-37/पाठ्य पुस्तक/2018-19 दिनांक 31.08.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कक्षा-01 से 12 तक (प्रवेशिका से उत्तरमध्यमा द्वितीय वर्ष) के सभी छात्र-छात्राओं को शैक्षिक वर्ष 2018-19 से निम्न विवरणानुसार पाठ्य-पुस्तक क्रय हेतु एकमुश्त प्रत्यक्ष लाभान्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से धनराशि प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	कक्षा	प्रति छात्र औसत (धनराशि रूपये में)
1.	कक्षा 1 से 5 तक	250/-
2.	कक्षा 6 से 8 तक	400/-
3.	कक्षा 9 से 10 तक	600/-
4.	कक्षा 11 से 12 तक	700/-

- (1) राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उपरोक्तानुसार निःशुल्क पुस्तकीय सहायता अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में अन्तरित की जायेगी।
- (2) डी0बी0टी0 से भुगतान हेतु प्रत्येक छात्र-छात्रा का आधार कार्ड आवश्यक होगा, अतः भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
- (3) एकमुश्त पुस्तकीय सहायता भुगतान के उपरान्त 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा बजट उपभोग/वितरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (4) निदेशालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि/प्रमाणित कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-05-भाषा विकास-103-संस्कृत शिक्षा-07- संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-46(म0)/XXVII(3)/2018-19 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(इन्दुधर बौड़ाई)  
प्रभारी सचिव।

संख्या- 640 (1)/XLII-1/2018-05(27)2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
8. वित्त नियंत्रक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी/सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(अरुण कुमार)  
अनुसचिव।